संख्या— / जी0एस0 / शिक्षा / A11-24(1)/2015

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 29 जून, 2017**

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1512 / SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 14.03.2015, पत्र संख्या 139 / SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 13.04.2015 तथा पत्र संख्या 3088 / SDSUV/Affi-2015-16 दिनांक 05.02.2016 के क्रम में शासन द्वारा क्रमशः पत्रावली संख्या 03 (141) / 15 एवं पत्रावली संख्या 03 (07) 16 पर प्राप्त संस्तुति व पत्र संख्या 2524 / SDSUV/Query/2016-17 दिनांक 23.02.2017 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	हर्ष विद्या मन्दिर (पी0जी0) कॉलेज, रायसी, हरिद्वार।	**1–एम0ए0** (राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी एवं चित्रकला)	प्रत्येक में 40–40 सीट	शैक्षिक सत्र 2014–15 एवं शैक्षिक सत्र 2015–16 हेतु
		2–एम0एससी0 (रसायन विज्ञान)	प्रत्येक में 25–25 सीट	
		3–एम0एससी0 (भौतिक विज्ञान)		

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
3. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च

क्रमशः– 2 पर